

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
DEPARTMENT OF JUSTICE

**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO. \*50**

ANSWERED ON 07.12.2023

**Vacancies in High Courts and the Supreme Court**

\*50. SHRI SHAKTISINH GOHIL:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

- (a) the number of vacancies in High Courts and the Supreme Court, and the number of proposals recommended against the said vacancies;
- (b) the duration of time since the Collegium of the Supreme Court recommended the said proposals;
- (c) whether Government is aware of the delay in judicial appointments as well as transfers, if so, the reasons for delay; and
- (d) the detailed reasons for non-clearance of names of judges of various High courts recommended by the Collegium of the Supreme Court?

**ANSWER**

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) FOR MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS;  
MINISTER OF STATE FOR THE MINISTRY OF CULTURE

(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

**Statement referred to in reply to parts (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. 50 due for answer on 07.12.2023 regarding “Vacancies in High Courts and the Supreme Court”**

(a) to (d): As on 04.12.2023, against the sanctioned strength of 34 Judges, the Supreme Court is functioning at full strength and there is no vacancy. As regards the High Courts, against the sanctioned strength of 1114 Judges, 790 Judges are working and 324 post of Judges are vacant in the various High Courts.

As on 01.01.2023, 171 proposals received from High Court Collegiums were at different stages of processing. During the calendar year 2023, 121 fresh proposals were received. Out of the total 292 proposals for consideration during the current calendar year, 110 Judges have been appointed and 60 recommendations were remitted to the High Courts on the advice of the SCC. As on 04.12.2023, 122 proposals are at various stages of processing. Out of these 122 proposals, 87 proposals were sent to the Supreme Court Collegium (SCC) for seeking advice against which the SCC has provided advice on 45 proposals which are at various stages of processing in the Government. 42 proposals are under consideration with the SCC. 35 fresh proposals received recently are being processed for seeking the advice of the SCC. Recommendations are yet to be received from High Court Collegiums in respect of the remaining 198 vacancies.

Appointment of the Judges of the Constitutional Courts is a continuous, integrated and collaborative process between the Executive and the Judiciary. It requires consultation and approval from various constitutional authorities both at state and central level.

Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed under Article 124, 217 and 224 of the Constitution of India and according to the procedure laid down in the Memorandum of Procedure (MoP) prepared in 1998 pursuant to the Supreme Court Judgment of October 6, 1993 (Second Judges case) read with their Advisory Opinion of October 28, 1998 (Third Judges case). As per MoP, initiation of proposal for appointment of Judges in the High Courts vests with the Chief Justice of the concerned High Court. Chief Justice of the High Court is required to initiate the proposal to fill up of vacancy of a High Court Judge six months prior to the occurrence of vacancy. However, this timeline is often not adhered to by the High Courts. All the names recommended by High Court Collegium are sent with the views of the Government to the Supreme Court Collegium (SCC) for advice. Government, however, appoints only those persons as Judges of High Courts who are recommended by SCC.

As per the existing MoP, the proposal for transfer of High Court Judges is initiated by the Chief Justice of India in consultation with four senior-most puisne Judges of the Supreme Court. The MoP further provides that the Chief Justice of India is also expected to take into account the views of the Chief Justice of High Court from which the judge is to be transferred, as also the Chief Justice of the High Court to which the transfer is to be effected, besides taking into account the views of one or more Supreme Court judges who are in a position to offer views.

The transfer of Chief Justices/Judges of High Courts are to be made in public interest i.e. for promoting better administration of justice throughout the country. No timeline has been prescribed in the MoP for transfer of judges from one High Court to another.

As a result of the collaborative process between the Executive and Judiciary, during the year 2022, 165 Judges were appointed in various High Courts and 08 transfer among High Courts were made (02 Chief Justices and 06 Judges) and during the year 2023, a total of 110 Judges have been appointed in various High Courts and 34 judges have been transferred among various High Courts till 04.12.2023.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*50  
जिसका उत्तर गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

**उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्तियां**

**\*50 श्री शक्तिसिंह गोहिल :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों की संख्या और उक्त रिक्तियों को भरने के लिए अनुशंसित प्रस्तावों की संख्या कितनी है ;

(ख) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उक्त प्रस्तावों की अनुशंसा किए जाने के बाद कितना समय बीत चुका है ;

(ग) क्या सरकार को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानान्तरणों में विलंब के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी न दिए जाने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

**उत्तर**

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और  
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

“उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय” में रिक्तियों से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*50, जिसका उत्तर तारीख 07.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

**(क) से (घ) :** 04.12.2023 तक न्यायाधीशों की स्वीकृत 34 पदसंख्या की तुलना में उच्चतम न्यायालय पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है और कोई रिक्ति नहीं है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या की तुलना में 790 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 324 पद रिक्त हैं।

01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम से 171 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान 121 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान विचारार्थ कुल 292 प्रस्तावों में से 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और एससीसी की सलाह पर 60 सिफारिशें उच्च न्यायालयों को भेज दी गईं। 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार, 122 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इन 122 प्रस्तावों में से, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह लेने के लिए 87 प्रस्ताव भेजे गए थे जिनमें से 45 प्रस्तावों पर एससीसी ने सलाह दी है जो सरकार में प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 42 प्रस्ताव एससीसी के विचाराधीन हैं। एससीसी की सलाह लेने के लिए हाल ही में प्राप्त 35 नए प्रस्ताव प्रक्रियागत हैं। शेष 198 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियमों से सिफारिशें अभी प्राप्त होना बाकी हैं।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्टूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के फैसले (द्वितीय न्यायाधीश मामले) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिक्ति होने से छह महीने पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को आरंभ करना अपेक्षित है। तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा अक्सर इस समयसीमा का पालन नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित सभी नामों को सरकार के विचारों के साथ सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है। तथापि, सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती है।

विद्यमान एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से आरंभ किया जाता है। एमओपी में यह भी उपबंध है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को भी ध्यान में रखेगा, जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाना है, साथ ही उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को भी ध्यान में रखेगा, जिसमें स्थानांतरण किया जाना है, इसके अलावा एक या अधिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो विचार देने की स्थिति में हैं।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों के स्थानांतरण जनहित में, अर्थात् सम्पूर्ण देश में न्याय के बेहतर प्रशासन का संवर्धन करने के लिए, किए जाने हैं। एमओपी में न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है।

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, वर्ष 2022 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और उच्च न्यायालयों में 08 स्थानांतरण किए गए (02 मुख्य न्यायाधीश और 06 न्यायाधीश), और वर्ष 2023 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और 04.12.2023 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 34 न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है।

\*\*\*\*\*

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** माननीय सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि 'Justice delayed is justice denied' अगर न्याय देर से आता है, तो न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। यह भी कहा जाता है कि 'Judicial process is the biggest judicial punishment'. तारीख पर तारीख मिलती है, लोग परेशान होते हैं। यह क्यों होता है? मैं आपके ज़रिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट्स के जजेज़ की जो टोटल strength है, वह 1,114 है, उनमें से 324 जगह खाली हैं। मतलब यह कि हाई कोर्ट्स में अगर 29 प्रतिशत से ज्यादा जजेज़ की वैकेंसीज़ खाली हैं, तो जस्टिस डिले भी होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि Memorandum of Procedure (MoP) बहुत सोच-समझकर 3 जजेज़ के जजमेंट के बाद बना है। MoP के हिसाब से और हमारे संविधान के आर्टिकल 224 के हिसाब से independence of judiciary है, इसमें सरकार का खास रोल नहीं है। आपके यहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज़ल्स भेजे हुए हैं, आप उन्हें क्यों रोक कर रखते हैं? आप उन्हें क्यों दबाकर रखते हैं जबकि इतनी जगह खाली हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसमें से हस्तक्षेप हटाना चाहती है या नहीं?

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** आदरणीय सभापति महोदय, यह प्रश्न जजेज़ की सैंक्शन strength और वैकेंसीज़ से संबंधित है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जजेज़ की strength का ज़िक्र करता हूँ। वहां 34 strength है, जिसमें 34 ही भरी हुई हैं। ...**(व्यवधान)**... दोनों हैं, आप मुझे जवाब देने दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Let us hear the hon. Minister. ...**(Interruptions)**.. He is going in a right way. ...**(Interruptions)**..

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** सभापति महोदय, पहले यह strength भी 31 थी। मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसे 34 किया और सुप्रीम कोर्ट में 34 ही भरी हुई हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जजेज़ की 1,114 सैंक्शन strength है। मैं यूपीए की बात करूँ तो इनकी सैंक्शन strength 906 थी। हमने हाई कोर्ट्स जजेज़ की सैंक्शन strength बढ़ाकर 1,114 की। हमने जो वैकेंसीज़ भरी हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि अभी हम स्टॉक लें...

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** सर, आपका संरक्षण चाहता हूँ। ये कृपया मेरे सवाल का जवाब दें।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, one second. ...**(Interruptions)**..

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** सभापति महोदय, वे हाई कोर्ट्स के जजेज़ के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** सर, आपका संरक्षण चाहता हूँ। 324 जगह खाली हैं, यह मेरा सवाल है।

MR. CHAIRMAN: Would you kindly take your seat? ...(*Interruptions*).. Would you take your seat first? ...(*Interruptions*).. Hon. Member, when a Member asks the questions, I give full latitude. In making your enquiry, you did give a speech, raised the point, fine! I don't get into the contours whether it really fits into the frame. Hon. Minister is taking his own time, let him. Ultimately, there will be other supplementaries. Why don't you wait for that? I am so happy that you are eliciting answers from the Government. Things are going very smoothly. Why should we interrupt? Why should senior Members interrupt? Let the hon. Minister answer.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** सर, मैं यह बता रहा था कि यूपीए में क्या था, ये सुनना नहीं चाहते हैं, इनकी यही प्रॉब्लम है। मैं यह कह रहा हूँ कि अभी 1,114 में से 790 वर्किंग हैं और 234 वैकेंट हैं। मैं यही बता रहा था। उसके बाद अगर मैं आपको 1 जनवरी, 2023 का विवरण दूँ, तो हमें विभिन्न हाई कोर्ट्स Collegium से 171 प्रपोज़ल्स प्राप्त हुए हैं और 2023 में 121 मिले हैं। हमें प्रपोज़ल्स Collegium से ही मिलेंगे। अगर टोटल देखें, तो हमारे पास 292 प्रपोज़ल्स पेंडिंग है। उनमें से हमने 110 का appointment किया, 60 का remit किया और 122 प्रोसेस में है। सर, ये Judiciary और Executive की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जजेज़ की sanctioned strength भी बढ़ाई है और यदि वैकेंसीज़ हैं, तो उनको जल्दी भी भरा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के तीन जज के पद खाली थे, उनको हमने रिपोर्ट समय में भर दिया है। चूंकि शक्तिसिंह जी ने प्रश्न किया है, तो मैं इनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हम 2004 और 2014 से बात करें, जो ये हाई कोर्ट्स जजेज़ की बात कर रहे हैं, तो average appointment of judges was 86 और हम 100 कर रहे हैं। हम तो ज्यादा appointment कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं ईयर-वाइज़ डेटा दे सकता हूँ।

**श्री सभापति :** सेकेंड सप्लीमेंटरी श्री शक्तिसिंह गोहिल ।

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** सर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मेरा सवाल कुछ और होता है और जवाब कुछ और होता है।

**श्री सभापति :** आपको पूरा संरक्षण मिलेगा।

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** मुझे पूरा विश्वास है। सर, जनरली पार्टी की सरकार होती है, अलायन्स की सरकार होती है, \*...(*व्यवधान*)...

MR. CHAIRMAN: This is expunged.

---

\* Expunged as ordered by the Chair.

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** \*\* ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Because, Mr. Shaktisinh, you are challenging the very basis of democracy.

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** \*\* ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: You are doing it repeatedly. I take strong objection to this. It cannot be approved. ...(*Interruptions*)...

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** \*\* ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: We cannot go into which are the parties that are being ruled by one person or which is the Government ruled by one person. ...(*Interruptions*)... Let us go through the democratic process. ...(*Interruptions*)... Ask your supplementary. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Sir, I am deeply obliged that you have enlightened me. ...(*Interruptions*)...

**श्री सभापति :** बात बहुत दूर तलक जाएगी, इसको बंद कीजिए और प्रश्न पूछिए। It is an important issue.

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** सर, आपका स्नेह है। आप भी ज्यूडिशियरी से हैं और मैं भी हूँ और जानता हूँ कि आप कोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ...(*व्यवधान*)...

**श्री सभापति :** आप माननीय मंत्री जी से सवाल पूछिए।

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** सर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा यूपीए सरकार में कभी नहीं हुआ था। ...(*व्यवधान*)... kindly listen. \*इस मोदी जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह 7 नवंबर, 2023 को कहा कि 'Pick and choose approach to Collegium's proposal is not good.' सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को कहा कि प्रपोज़ल आता है, उसको आप split कर देते

---

\*\* Not recorded.

\* Expunged as ordered by the Chair.

हैं और पसंद वाले को दे देते हो!...(व्यवधान)... That is not true. Is it true or not?  
...(Interruptions)... क्या यह सही है या नहीं है?...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Shaktisinh Gohil, you put it on record. ...(Interruptions)... Please take your seat. ...(Interruptions)... I would expect all the hon. Members to maintain decorum. Mr. Shaktisinh Gohil, a Member of this House... ...(Interruptions)... You place the authenticated judgment of the Supreme Court on the Table during the course of the day. Go ahead. You put the authenticated official judgement of the Supreme Court. ...(Interruptions)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: You very well know, Sir, what is Bar and Benches. Version from Bar and Benches ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No; no. I am so sorry. ...(Interruptions)... I am absolutely so sorry. ...(Interruptions)... This can't be allowed. ...(Interruptions)... There will be consequences emanating out of it. ...(Interruptions)... You will have to authenticate from authenticated record of the Supreme Court. ...(Interruptions)... We have the highest regards for our Judiciary. ...(Interruptions)... I cannot allow Judiciary to be... ...(Interruptions)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Let the hon. Minister reply that this was not told by the Supreme Court. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please ask your supplementary. ...(Interruptions)... Please ask your supplementary and comply with the directive. ...(Interruptions)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Let the hon. Minister reply whether this was told by the Supreme Court or not. ...(Interruptions)... Let the hon. Minister reply. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister. And, before that, let me tell hon. Members that while dealing with the Judiciary, a vital wing of our governance, we need to be extremely careful. Judiciary speaks through its judgements. During the course of hearing, reflections emanate but they do not constitute judgement. The Supreme Court has repeatedly indicated the purpose of those observations. If the hon. Member has taken an observation to be judgement of the Supreme Court, I can say, with my

limited experience, he is totally wrong. A directive has been issued by me. He will comply during the course of the day. Go ahead now.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, आपने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन मैं...

**श्री सभापति :** मैं उत्तर नहीं देता हूँ। माननीय मंत्री जी, उत्तर आपको देना होता है।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** सर, आपने स्पष्ट किया है। ...**(व्यवधान)**... आपने डायरेक्शन दे दिया है। आप इनका भी संरक्षण कर रहे हो, हमारा भी संरक्षण कर रहे हो और निष्पक्षता से काम कर रहे हो। हमें भी तो संरक्षण चाहिए। आपने अपनी बात अच्छे तरीके से कही। मैं यह कहना चाहता हूँ कि रनिंग कमेंटरी कुछ और होती है और डिजीजन में कुछ और होता है। अगर माननीय सदस्य के पास डिजीजन है, तो वे लाकर पुट-अप करें।

MR. CHAIRMAN: You please respond to his question. ...*(Interruptions)*...

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** इनका दूसरा क्वेश्चन एमओपी के संबंध में था। हमने एमओपी के लिए 6 जनवरी, 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। The matter is pending with the Chief Justice of India and the response is awaited. यह एमओपी के मामले में है।

SHRI N.R. ELANGO: Mr. Chairman, Sir, there is a very strong perception among the stakeholders that the Government is not clearing the names of the advocates, which are cleared by the Collegiums, only on the basis of their political ideologies or views. I request the hon. Minister to clarify as to what steps have been taken by this Government to dispel such perception among the stakeholders.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I have already stated that there is a collaborative process between the Executive and the Judiciary और ज्यूडिशियरी की जो निष्पक्षता है, इंडिपेन्डेंसी है, यह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सरकार चल रही है, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रोसेस में जो समय लग रहा है, वह एक अलग इश्यू है। हाई कोर्ट्स से नाम आते हैं, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है और उसके बाद हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमें कुछ सजेस्ट करता है और कुछ हम भी उनको सजेस्ट करते हैं। यह एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में जो समय लगता है वह एमओपी का पार्ट है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया।

DR. SASMIT PATRA: Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Firstly, I would like to commend the hon. Minister that there are no vacancies in the hon. Supreme Court. And, also, the Ministry has given information that in this year,

292 proposals have come from High Court Collegiums and they are under process of various considerations. And, it seems that, at times, the number of proposals expected from High Court Collegiums is not as much. Of course, that is not the responsibility of the Ministry. That is up to the High Court Collegiums to take a call on, along with the Supreme Court Collegiums, in order to fill up the vacancies. My specific question to the hon. Minister would be: Though it does not come within the domain of the Ministry to expedite something between the High Court collegiums and the Supreme Court collegiums, would the Ministry consider engaging with either the process or, through the Ministry, with the High Court collegiums and the Supreme Court collegiums...

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasmit, you have run out of time. You can meet the hon. Minister in his Chamber.

DR. SASMIT PATRA: Okay, Sir.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2.00 p.m. today.